

# हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई.एस.ओ. १००४ द्वारा प्रमाणित संस्थान)

प्रेषक :

सचिव,  
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,  
भिवानी-१२७०२१

सेवा में,

प्राचार्य

*Sardar Ajit Singh College of Edu.  
Kurukshetra, 511022*

क्रमांक १५४२-१६१।/डी.एड.सम्बद्धता

दिनांक ०८-०७-२०२१

## महोदय/महोदया,

आपकी संस्था को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा २००९-१० में दी गई अस्थायी सम्बद्धता के आधार पर शैक्षिक सत्र २०२०-२१ के लिये इस बोर्ड द्वारा निम्न शर्तों पर अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- संस्था बोर्ड/ शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय – समय पर जारी किये जाते हैं, उनकी दृढ़ता से पालन करेगी।
- बोर्ड/शिक्षा विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था किसी भी स्तर पर पाठ्य योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन/ परिवर्तन नहीं करेगी।
- संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपनी संस्था का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवायेगी। बोर्ड द्वारा भवन एवं फर्नीचर का किराया आदि नहीं दिया जायेगा।
- संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी जिससे नकल / इम्प्रसोनेशन एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।
- बोर्ड के निर्देश पर शिक्षकों/छात्रों का रिकार्ड तथ्यों की जांच हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा।
- संस्था का निरीक्षण बोर्ड द्वारा गठित कमेटी / नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
- संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई. के निर्देशानुसार गवर्निंग बोर्डी का गठन किया जाना अनिवार्य है।
- स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- संस्था अपने मूल स्थान से भवन को दूसरी जगह एन.सी.टी.ई. की स्वीकृति के बिना शिपट नहीं करेगी।
- अस्थायी सम्बद्धता जारी रखने के लिये प्रत्येक शैक्षिक सत्र में ५००००/- रुपये सम्बद्धता शुल्क भेजा जाना आवश्यक है।
- संस्था द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करने की अवस्था में बोर्ड को संस्था की सम्बद्धता रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।



भवदीय

अधीक्षक (सम्बद्धता)

कृते: सचिव